राजस्थान सरकार

न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी (जिला कलक्टर), बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

सूचना का अधिकार प्रार्थना पत्र 42/2025

अपीलांटः–	बनाम	रेस्पोडेंटः –
1. श्री अर्जुनसिंह पुत्र सुजानसिंह, निवासी महिलावास, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा।		1 तहसीलदार सिवाना

आदेश

दिनांक 14.01.2026

अपीलार्थी श्री अर्जुनसिंह पुत्र सुजानसिंह, निवासी महिलावास, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा ने यह प्रथम अपील अप्रार्थी तहसीलदार, सिवाना के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 23.12.2025 को प्रस्तुत की गई है। अपीलीर्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक/ऑनलाईन प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से संबंधित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, सिवाना को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोडेंट द्वारा निर्धारित सुनवाई तिथी को उपस्थित हुए जवाब/टिप्पणी प्रस्तुत की गई।

रेस्पोडेंट द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना कार्यालय तहसीलदार, सिवाना के पत्रांक/सु.का अधि./2025/558 दिनांक 13.10.2025 को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई गई है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को निस्तारित की जाये।

हमने प्रस्तुत अपील एवं रेस्पोडेंट की ओर से जवाब का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अपीलांट को वांछित सूचना अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी कार्यालय तहसीलदार, सिवाना के पत्रांक/सु.का अधि./2025/558 दिनांक 13.10.2025 को जरिये रजिस्टर्ड डाक उपलब्ध करवा दी गई है। साथ ही अपीलांट द्वारा चाही गई वांछित सूचना तृतीय पक्षकार से संबंधित सूचना है, जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(जे) के अनुसार तृतीय पक्षकार की सूचना दिये जाने का प्रावधान नहीं है। लिहाजा प्रस्तुत अपील के तथ्यों के अवलोकन एवं विवेचन उपरान्त अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 14.01.2026 को न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर
(सुशील कुमार)
बालोतरा
प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बालोतरा